प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 16 दिनांक 21.07.2016

2.अधिनियम पी.सी एक्ट 49/88 धाराएं 7,13(1)डी. पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं –

(क) घटना का दिन वीरवार दिनांक से दिनांक 21.07.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 21.07.2016 समय 01.10 पी.एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 5 समय 01.30 पी.एम

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एंव दूरी) जानिब दक्षिण लगभग 70 कि0मी0

(ख) पता:–

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)– कौसली, जिला रेवाडी

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) नाम : आनन्द प्रकाश गुप्ता (ख) (पिता/पति का नाम) श्री ओमप्रकाश

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) Business (पता) मकान न0 25, 26 किरोडीमल कॉलौनी भिवानी।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. जितेन्द्र हुड्डा XEN, 2. राजकुमार SDO, 3. दलबीर सिंह बूरा JE, 4. अनिल Account Officer, 5. गुलशन SDC पब्लिक हैल्थ कार्यालय कोसली (रेवाडी)

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री नरेश कुमार उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र रेवाडी बादस्त EHC रंगराज न0 88/GGN बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई, जिसका मजबुन जैल है, ''सेवा में श्रीमान निरीक्षक महोद्य विजिलैंस रेवाडी श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मेरी भिवानी में आन्नद इल्क्ट्रोनिक्स, ईल्कट्रीकल , कम्पयूटर ईत्यादि की दुकान है इसमें मुरम्मत करता हूँ व नई बेचता हूँ व फिटिंग

करता हूँ। मैने कोसली पब्लिक हैल्थ कायालय में जो नया कोसली में बना है। इस बिल्डिंग में मैने सी0सी0टी0वी0 कैमरा, EPABX, System Networking का काम व इल्कट्रिकल का मेन लाईन का काम किया है। मैने सामान भी दिया है व फिटींग करके चालू करके भी दिया है। जिसकी कुल पेमेन्ट मेरी 9 लाख के करीब बनती थी। जिसमें से मुझे 6 लाख प्राप्त हो चुके है। बाकि के 3 लाख लेने के लिये मै कई बार फोन किये व मिला जो मेरा मोबाईल न0 9813290929 से Xen जितेन्द्र हुडा के न0 9416312702 पर व SDO राज कुमार के मोबाईल न0 9416265543 है व जे0ई0 दलबीर सिंह बूरा के मोबाईल न0 9416504447 है इन पर फोन किये व इनकी रिकार्डिंग मेरे मोबाईल में है जो मै बाद में पेश कर दूंगा। मै काफी दिनो से चक्कर काट रहा हू मेरे बिल पास नही कर रहे है। बिल पास करने की एवेज में Xen जितेन्द्र हुडा, SDO राजकुमार, जे0ई0 दलबीर सिंह बूरा, अकाउन्ट आफिसर अनिल व एस0डी0सी0 गुलशन अपने–2 हिस्से के Xen, J.E, SDO 3 प्रतिशत व अकाउन्टैन्ट अनिल के 2 प्रतिशत व गुलशन एस0डी0सी0 के 2500/–रु रिश्वत की मांग कर रहे है। उपरोक्त अधिकारी बिना रिश्वत लिये मेरा बिल पास नही करेगे। आज दिनांक 21.07.2016 को मै Xen, SDO, J.E को 9–9 हजार रूप्ये व अनिल कुमार अकाउन्टैन्ट को 6 हजार रूप्ये व एस0डी0सी0 गुलशन कुमार को 2500/–रु कुल 35500/–रु देने का समय तय करके आया हूँ। मेरी उपरोक्त अधिकारियों से कोई आपसी रंजिश नही है। व न ही कोई लेन–देन नही है। रिश्वत की प्रतिशत के बारे में उपरोक्त अनुसार जे0ई0 दलबीर सिंह बूरा ने मेरे से पुनः मांग की है। उपरोक्त जे0ई0 व एस0डी0 इससे पहले मार्च 2016 में बिल पास करने की एवेज में नाजायज तौर पर दबाव डालकर मेरी गैर हाजरी में मेरी पत्नी से 54 हजार रूप्ये अवैध तौर पर वसूल चुके है। मै हार्ट व बी0पी0, शूगर का बिमार हूँ। मेरी बाई पास सर्जरी भी हो चुकी है। इसलिये अपनी पेमैन्ट के लिये सारे जुल्म सहता रहा। 54000/–रु के लेने–देन की रिकार्डिंग पेश कर दूगां आपके कार्यालय में हाजिर आकर दरखास्त पेश की है। मेरी दरखास्त पर उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। अन्य डिटेल आपको पेश कर दूगां। आज मै व मेरा बेटा अतुल गुप्ता किराये की गाडी व रिश्वत की राशी मांगी अनुसार प्रबन्ध करके साथ लाया हूँ। लेन–देन के समय भ्रष्ट अधिकारी रगें हाथो काबू आ सकते है। धन्यवाद प्रार्थी हस्ता अग्रेजी आनन्द प्रकाश पुत्र श्री औमप्रकाश गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी मकान न0 25, 26 किरोडीमल कॉलौनी भिवानी M.No. 9813290929 Date 21.07.2016" कार्यवाही पुलिस– आज मन DSP मय श्री विरेन्द्र सिंह DSP, निरीक्षक कुलवन्त सिंह, निरीक्षक विघानन्द, SI सुभाष चन्द्र, SI सत्य प्रकाश, SI रामानन्द, सहायक ASI सतीश कुमार 1706 FBD, ASI रामपाल, ASI महाबीर, ASI हरपाल, CT प्रवीण कुमार 323/FBD, CT योगेश कुमार 2809/GGN मय गाडी सरकारी HR 03L 4422 चालक CT प्रदीप कुमार गाडी सरकारी HR 68 8353 चालक EHC जोगेन्द्र सिंह के बराये कार सरकार सरकार स्पैशल चैकिंग विजिलैंस कार्यालय रेवाडी में पहुँचा। जहा नि0 विघानन्द पहले से ही कार्यालय में हाजिर है। जहां आनन्द प्रकाश मुदई उपरोक्त अपने बेटे अतुल गुप्ता के साथ प्राईवेट गाडी सहित हाजिर मिले। जिन्होने अपनी हस्तलिखित दरखास्त पेश की है। जिस पर अध्ययन, अवलोकन, दरियाफत व मजबून से प्रथम दृष्टिया धारा 7, 13(1) डी0 पी0सी0 एक्ट के आरोप है। जो आरोप काफी संगीन है व वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ जिनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पहले सक्षम अधिकारी को हालात से अवगम कराकर उनकी आज्ञा ली जानी अनिवार्य है। अतः वरिष्ठ अधिकारिगण के साथ–साथ निजी तौर पर भी इस सम्बन्ध मे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए व Duty Magistrate की तैनाती कराने की कार्यवाही की जा रही है। समय के अभाव के चलते अलग–2 रैडिंग पार्टीया हिदायत अनुसार तैयार की जाकर आगामी कार्यवाही हेतु मन उप पुलिस अधीक्षक मय

मुदई मय मुलाजमान मुदई के बेटे मय तफतीशी बैग, लैपटोप, विडियो रिकार्डर के वा सवारी गाडी सरकारी के रवाना होना अनिवार्य है। अतः तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त EHC रंगराज न0 88/GGN के थाना SVB गुडगांव भेजी जा रही है। हिदायत दी कि मुकदमा दर्ज करवाकर नम्बर पर्चा से सुचित करे। स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट सहाब व अफसरान बाला की सेवा मे बिना देरी के भिजवाई जावे। हस्ता हिन्दी नरेश कुमार उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव दिनांक 21.07.16 at 10:15 AM अज थाना उपकेन्द्र रेवाडी विजीलैंस कार्यालय अज थाना– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रथम सुचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया एक ही समय कार्बन द्वारा तैयार की गई। जो सेवा में अफसरान बाला व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी नियमानुसार भेजी जाएगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी व पुलिस अधीक्षक सहाब रेवाडी EHC रंगराज न0 88/GGN भेजी जा रही है। असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर पहुचाने हेतु इसी EHC रंगराज की जा रही हैं।

POLICE STATION ... थाना राज्य चौकसी ब्यूरो ... Gurgaon Range Gurgaon

हस्ता अग्रेंजी/– रमेश कुमार
थाना प्रभारी का नाम
नाम : रमेश कुमार
पद : निरीक्षक
सख्यां : 22/H
दिनांक 21.07.2016 **समय** 03.30 पी.एम

Attested

Insp/SHO
PS/SVB/GGN

निरीक्षक
चौकसी ब्यूरो (ह०)
गुड़गांवा मण्डल गुड़गांवा